न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय(प्रथम), भदोही।

विशेष परीक्षण संख्या–553 सन् 2024

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10022092024

उत्तर प्रदेश राज्य। ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

सुमित्रा देवी पत्नी स्व० दूधनाथ
निवासिनी–बसंतापुर भदोही
थाना–भदोही, जनपद–भदोही। ....अभियुक्ता।

अपराध संख्या–435 सन् 2021
धारा–138(1)(b)भा०वि०अधिनियम
थाना–ए.पी.टी.भदोही, जनपद–भदोही।

दिनांक–29.06.2026

1. अभियुक्ता सुमित्रा देवी पत्नी स्व० दूधनाथ, निवासिनी–बसंतापुर भदोही, थाना–भदोही, जनपद–भदोही की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है और जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर समाप्त कराना चाहती है। अतः मुकदमा उपरोक्त में कम से कम जुर्माना अधिरोपित कर संस्वीकृति के आधार पर वाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

2. अभियुक्ता सुमित्रा देवी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–435 सन् 2021, धारा–138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–ए.पी.टी.भदोही जनपद– भदोही के प्रकरण में विवेचना के पश्चात आरोप–पत्र प्रेषित हुआ है।

3. अभियुक्ता के प्रार्थनापत्र पर विद्युत विभाग की ओर से नामित शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्ता सुमित्रा देवी पत्नी स्व० दूधनाथ, निवासिनी–बसंतापुर भदोही, थाना–भदोही, जनपद–भदोही के विरुद्ध थाना ए.पी.टी.भदोही में विद्युत अधिनियम की धारा–138(1)(b)के अन्तर्गत बकाये के कारण विद्युत कनेक्सन विच्छेदित किए जाने के उपरांत भी एक अन्य केबिल खींचकर अवैध रूप से एल०एम०वी०2 विधा में 1 किलो वाट अवैध रूप से

विद्युत का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता को जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मु०8000/– (आठ हजार)रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्ता 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतेगी ।

5. बादहू अभियुक्ता श्रीमती सुमित्रा देवी द्वारा रसीद संख्या–398046 के जरिये मु०8000/–(आठ हजार) जमा किया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम), भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.07.10 10:09:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court